




संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Med. Sciences,
Raibareli Road, Lucknow- 226 014 (U.P.), INDIA
Phones: 0522-2668004-8,2668700-800-900, Fax: 91-0522- 2668017,2668078

पत्रांक-पी0जी0आई0/मु0चि0अ0/अधि0/25/2023/जी0एफ0 दिनांक : 25 जनवरी, 2023

कार्यालय आदेश

समस्त विभागाध्यक्षों से आग्रह किया जाता है कि वे अपने विभाग में कार्यरत संकाय सदस्यों, सीनियर रेजिडेन्ट्स एवं जूनियर रेजिडेन्ट्स को निम्न बिन्दुओं का अनुपालन करने हेतु यथोचित निर्देश देने का कष्ट करेंगे एवं अनुपालन सुनिश्चित करेंगे:-

1. किसी रोगी का स्वास्थ्य परीक्षण करते समय Code of Medical Ethics का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
2. किसी महिला रोगी का स्वास्थ्य परीक्षण करते समय महिला नर्सिंग अधिकारी अथवा किसी अन्य महिला कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई महिला रोगी अपना स्वास्थ्य परीक्षण अपने पति की उपस्थिति के बिना कराने पर असहमति प्रकट करती है तो यथासंभव अपने पति को साथ रखने की अनुमति देंगे।
3. संस्थान के चिकित्सकों के अतुलनीय योगदान के परिणामस्वरूप संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं सदैव सराहनीय रही हैं तथा उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले चिकित्सकों को समय-समय पर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तथापि, विगत कुछ समय से प्राप्त हो रहे अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए रोगी परिचर्या को अपेक्षाकृत सुगम, सहज, सुलभ, जनप्रिय तथा गुणवत्तापरक बनाए जाने हेतु चिकित्सकगण प्रत्येक दशा में रोगियों के प्रति सेवा भाव रखते हुए मानवीय रवैया अपनाएंगे, उनकी समस्याओं/जिज्ञासाओं का निराकरण करेंगे तथा उत्तर देते समय सदैव मृदु भाषा का प्रयोग करेंगे तथा किसी भी दशा में कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे।
4. समस्त चिकित्सक अप्रेन एवं पहचान-पत्र पहनना सुनिश्चित करेंगे।


(प्रो० गौरव अग्रवाल)
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निदेशक।
2. अपर निदेशक।
3. चिकित्सा अधीक्षक।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. विभागाध्यक्ष, बी0एच0आई0 कृपया इस आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करायें।
6. संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से समस्त संबंधित को प्रेषित।
7. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अ0 प्रशासन।
8. प्रशासनिक अधिकारी, अ0 प्रशासन।।


(प्रो० गौरव अग्रवाल)
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक